न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दीगोद

उनवान संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
23/17	18.04.2017	01.11.2017

बइजलास :– तारामती वैष्णव (आर.ए.एस.)

उनवान

1. बंशीलाल पुत्र औंकार
2. मोहनलाल पुत्र औंकार
3. राजमल पुत्र औंकार जाति बलाई निवासीगण पाडलियां तहसील दीगोद जिला कोटा

–प्रार्थीगण

बनाम

1. हरिराम पुत्र उदा जाति बलाई निवासी पाडलियां तहसील दीगोद जिला कोटा
2. राजस्थान जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिपक्षीगण

उपस्थित अधिवक्तागण

1. श्री भारत शर्मा एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री मोहन चन्द्र जोशी एडवोकेट प्रतिपक्षी नं0 1 की ओर से

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

–:: आदेश ::–

प्रार्थीगण ने जरिये विद्वान अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम पाडलियां तहसील दीगोद में अन्य भूमि के साथ ख0नं0 281 रकबा 0.17 हे0 भूमि स्थित चली आ रही है। राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्त भूमि प्रतिपक्षी नं0 1 के नाम दर्ज है। उपरोक्त भूमि प्रार्थीगण की पुश्तेनी भूमि है जो प्रार्थीगण के पूर्वजों के खातें दर्ज थी तथा उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान के नाम दर्ज हुई। उक्त ख0नं0 281 की 0.17 हे0 भूमि प्रार्थी के पिता औंकार के हिस्से व कब्जें में आई किन्तु सहवन से प्रतिपक्षी नं0 1 ने अन्य भूमियों के साथ

उक्त भूमि भी अपनें नाम खाते में दर्ज करवाली जिसका प्रतिपक्षी नं0 1 को कोई अधिकार नहीं है। उक्त भूमि का पुराना ख0नं0 481 था जिसमें से 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के पिता औंकार के हिस्से में आयी जिस पर प्रार्थीगण के पिता व उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे है तथा प्रार्थीगण का मकान बना हुआ है तथा प्रार्थीगण उक्त भूमि को काश्त कर अपना व अपनें परिवार का पालन पोषण करते है। प्रतिपक्षी नं0 1 आये दिन प्रार्थीगण से झगडा फसाद करता रहता है तथा प्रतिपक्षी नं0 1 अवैधानिक तरीके से उक्त विभाजन में प्रार्थीगण के पिता को प्राप्त भूमि को अपनें नाम दर्ज करवाली जबकि उक्त भूमि पर प्रतिपक्षी नं0 1 का कोई कब्जा काश्त नहीं है और पूर्वजो के समय से ही प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है तथा प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार हो गये है तथा प्रार्थीगण उक्त भूमि को प्रतिपक्षी नं0 1 के खातें से हटाकर अपनें खाते दर्ज करानें के अधिकारी है। वर्तमान में भूमियो की किमत बढ जानें से व उक्त भूमि प्रतिपक्षी नं0 1 के नाम दर्ज होनें के कारण प्रतिपक्षी नं0 1 की नियत में बदलाव आ गया और प्रतिपक्षी नं0 1 उक्त भूमि का शीघ्र ही बैचान करनें व प्रार्थीगण को उक्त भूमि व उसमें बनें मकान से बैदखल करनें पर आमादा है। जिसका कि प्रतिपक्षी नं0 1 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि प्रतिपक्षी ने प्रार्थीगण को उपरोक्त भूमि पर काश्त नहीं करनें दिया तथा किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत पैदा की, और रहन, बैचान कर दी गई ता इससे प्रार्थीगण को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार नही हो सकेगी तथा प्रार्थीगण का दावा करना ही बैकार हो जावेगा। प्रार्थीगण का केस प्राईमा फेसाई केस है तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है तथा अपरिमित क्षति होनें की पूर्ण सम्भावना है।

प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण ने निवेदन किया है कि ताफैसला दावा प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध एक अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जावें कि प्रतिपक्षीगण प्रार्थीगण को ग्राम पाडलियां तहसील दीगोद की ख0नं0 281 की 0.17 हे0 भूमि के कब्जें काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करें तथा उपरोक्त भूमि को प्रार्थीगण को काश्त करनें से नहीं रोके और प्रार्थीगण के कब्जें काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत पैदा ही करें, और न उक्त भूमि रहन, बैचान करें और न प्रार्थीगण को बैदखल करें, उक्त कृत्य न तो स्वयं करें और न अपनें प्रतिनिधि से करावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण को जरिये सम्मन् तलब किया गया। प्रतिपक्षी नं0 1 ने जवाब जरिये विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार कर विशेष कथन किये कि विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा नहीं है। अपितु उक्त भूमि पर प्रतिपक्षी नं0 1 का कब्जा चला आ रहा है तथा उक्त भूमि प्रतिपक्षी नं0 1 के खातें दर्ज है इस कारण प्रार्थना पत्र चलनें योग्य नहीं होनें से खारिज होनें योग्य है। प्रतिपक्षी नं0 1 विवादित भूमि ख0नं0 281 की 0.17 हे0 भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है इस कारण रिकॉर्डेड खातेदार के खिलाफ स्थगन आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। स्थगन आदेश जारी होनें की स्थिति में प्रार्थीगण के मुकाबलें प्रतिपक्षी नं0 1 को ज्यादा क्षति होनें की पूर्ण सम्भावना है इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त होनें योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थीगण द्वारा निम्न दस्तावेजात् प्रस्तुत किये–

1. फोटोप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम पाडलिया सं0 2024–27 खाता नं0 66
2. फोटोप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम पाडलिया सं0 2024–27 खाता नं0 34
3. फोटोप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम पाडलिया सं0 2028–31
4. फोटोप्रति प्रतिलिपि खतोनी बन्दोबस्त ग्राम पाडलिया सं0 2010–29 खाता नं0 35–43 तक
5. फोटोप्रति प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल ग्राम पाडलिया सं0 2043–62
6. फोटोप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम पाडलिया सं0 2036–38
7. फोटोप्रति राशन कार्ड बंशीलाल
8. फोटोप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम पाडलिया सं0 2071–74 खाता नं0 268
9. फोटोप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम पाडलिया सं0 2071–74 खाता नं0 7

बाद साक्ष्य विद्वान् वकील उभयपक्ष की बहस सुनी। विद्वान वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किये कि ख0नं0 281 रकबा 0.17 हे0 भूमि प्रतिपक्षी नं0 1 के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण औंकार के वारिसान् है। पारिवारित बंटवारें के अनुसार ख0नं0 281 पर प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है किन्तु सहवन से प्रतिपक्षीगण के खातें दर्ज हो गई। अतः रिकॉर्ड व मौक की यथास्थिति के आदेश प्रदान करें। विद्वान् अधिवक्ता प्रतिपक्षीगण

ने बहस में कथन किये कि प्रार्थीगण ने जबरदस्ती हमारी भूमि हांक दी है, मकान ख0नं0 280 में बने हुये है, ख0नं0 281 हमारे कब्जें में है और हम ही रिकॉर्डेड खातेदार है। यदि भूमि सहवन से दर्ज है तो यह साक्ष्य का विषय है।

बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया गया तथा विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष के कथनों पर विधि सम्मत विचार किया तथा प्रार्थीगण के द्वारा वॉच्छित रिलीफ का भी अवलोकन किया। हस्व जमाबंदी सं0 2071–74 वाके ग्राम पाडलियां एवं अन्य दस्तावेजात् से अप्रार्थी नं0 1 का विवादित भूमि के सम्बन्ध में खातेदार का स्टैटस प्रकट एवं प्रमाणित होता है। जिससे प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रतिपक्षी नं0 1 के पक्ष में प्रकट होता है। प्रार्थीगण द्वारा मात्र कथन किया है कि विवादित भूमि पर उनका कब्जा है परन्तु कब्जे बाबत कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि विवादित भूमि पर वे काबिज़ काश्त है। इसके विपरीत अभिलिखित खातेदार का कब्जा होने की अवधारणा है। प्रार्थीगण विवादित भूमि पर अपना कब्जा साबित करने में असफल रहे हैं। अतः प्रतिपक्षी नं0 1 के पक्ष में सुविधा का संतुलन पाया जाता है।

वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है, और प्रति0 क्रम 1 विवादित आराजी के वर्तमान में अभिलिखित खातेदार है । प्रार्थीगण के विवादित आराजी पर स्वत्व तय नहीं किये गये हैं इसके विपरीत अप्रार्थी0 क्रम 1 के रिकार्ड के अनुसार तो स्वत्व प्रकट होते हैं। साथ ही अभिलिखित खातेदार के खिलाफ कोई निषेधाज्ञा दिया जाना विधिसंगत नहीं पाया जाता है।

प्रार्थीगण को या प्रति0 क्रम 1 को विवादित आराजी या उसके हिस्से पर क्या हक अख्त्यार है या होने चाहिये इसका विनिष्चय मूलवाद पर सम्यक् साक्ष्योपरान्त तथा सम्यक् विचारण उपरान्त विधि अनुसार मेरिट पर होना है न कि प्रार्थीगण के इस प्रार्थना पत्र के आधार पर। प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक् विवेचन तथा मनन के उपरान्त हम प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज़ किया जाता है। पत्रावली बाद तामील तकमील नम्बर से कम की जावे तथा निर्णीत में गणना की जाकर मूलवाद मिसल नम्बर 47/17 के साथ संलग्न रहे ।

निर्णय आज दिनॉक 01/11/2017 को मैंरे द्वारा लिखाया जाकर खुलें न्यायालय में सुनाया गया ।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी,
दीगोद